झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संकल्प

नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान का लाभ देने से संबंधित योजना सह वित्त के संकल्प सं०-134/वि०पें० दिनांक 08.07.2019 में संशोधन के संबंध में ।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 07/05/2012 P&PW(F)/B दिनांक 26.08.2016 के प्रावधानानुसार झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा अपने नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान की स्वीकृति संकल्प संख्या 134/वि०पें० दिनांक 08.07.2019 के द्वारा दी गयी है ।

2. भारत सरकार द्वारा नई पेंशन योजना से आच्छादित केन्द्रीय कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान का लाभ योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.01.2004 से दिया गया है, परन्तु राज्य में संकल्प संख्या 134/वि०पें० दिनांक 08.07.2019 के निर्गत तिथि अर्थात 08.07.2019 से अनुमान्य किया गया है ।

3. झारखण्ड राज्य में संकल्प सं० 518/वि०पें० दिनांक 09.12.2004 द्वारा दिनांक 01.12.2004 से नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है ।

4. नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान का लाभ झारखण्ड राज्य में योजना लागू होने की तिथि 01.12.2004 से देने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

5. अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान का लाभ झारखण्ड राज्य में योजना लागू होने की तिथि 01.12.2004 से अनुमान्य होगा ।

6. योजना सह वित्त विभाग के संकल्प सं० 134/वि०पें० दिनांक 08.07.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

[redacted]

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को [redacted] अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति [redacted] हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :-भ०नि०-41/2010..52/वि०   राँची, दिनांक ..3/4/2021

प्रतिलिपि:- माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव ।